



माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

प्रपत्र (ख)

राजकीय विद्यालयों के लिये

अतिरिक्त विषय / वर्ग में अस्थायी मान्यता हेतु आवेदन-पत्र

(यह प्रपत्र दो प्रतियों में मय दस्तावेज की प्रमाणित फोटो कॉपी के साथ जमा कराने पर ही स्वीकार होंगे)

सेवा में,

सचिव,

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान,
अजमेर

में

पद

प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, विद्यालय (नाम मय पता)

निम्नानुसार अतिरिक्त विषय / वर्ग की अस्थायी मान्यता के लिये आवेदन करता हूँ-

- (1) विद्यालय को राज्य सरकार / शिक्षा विभाग ने आदेश क्रमांक दिनांक के अनुसार उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिये वर्ष में क्रमोन्नत किया था। आदेश की प्रति संलग्न है।
- (2) विद्यालय को उक्त क्रमोन्नति के बाद बोर्ड ने प्रपत्र 'क' भरकर प्रस्तुत करने पर निरीक्षणोपरान्त अनुज्ञा / अस्थायी / स्थायी मान्यता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है। प्रमाण-पत्र की फोटो संलग्न है।
- (3) विद्यालय का मान्यता क्रमांक है।
- (4) विद्यालय को राज्य सरकार / शिक्षा विभाग ने आदेश क्रमांक दिनांक के अनुसार अतिरिक्त वर्ग / विषय खोलने की स्वीकृति / क्रमोन्नति प्रदान कर दी है। प्रति संलग्न है।

वर्ग विषय जिसमें स्वीकृति दी गयी-

वर्ग-

विषय : 1.
2.
3.

वर्ग-

विषय : 1.
2.
3.

- (5) विद्यालय उसी भवन / स्थान पर स्थित है जो की क्रमोन्नति आदेश / बोर्ड के रेकार्ड पर दर्ज है।
- (6) जिन प्रतिबन्धों के साथ अस्थायी मान्यता दी गई है उनकी पूर्ति कर दी गयी है।
- (7) विद्यालय के पास नये विषय / विषयों की कक्षाएँ खोलने के लिये निर्धारित नाप के कक्षाकक्ष, प्रयोगशालाएँ एवं संसाधन आदि उपलब्ध है। कक्षावार व प्रयोगशालाओं की स्थिति तथा संसाधनों का विवरण संलग्न है।
- (8) विद्यालय में आवेदन करने तक ही कक्षा 6 से 12 तक की कक्षावार छात्र संख्या का विवरण संलग्न है।
- (9) विद्यालय में उपलब्ध सिंगल सीटेड फर्नीचर की संख्या एवं पुस्तकालय में पुस्तकों की संख्या का विवरण संलग्न है।
- (10) विद्यालय में अतिरिक्त विषय हेतु एवं वर्तमान में कार्यरत समस्त शिक्षकों / स्टाफ का विवरण नाम-योग्यता पढ़ाये जाने वाले विषय आदि सहित संलग्न है।

घोषणा-पत्र

मैं संस्था / विद्यालय की ओर से अधिकृत होकर निष्ठापूर्वक घोषणा कर सहमति देता हूँ कि मैंने बोर्ड के मान्यता नियमों को पढ़ समझ लिया है और मैं आवेदन-पत्र में दिया गया विवरण पूर्ण रूप से सत्य एवं सही है तथा अपनी ओर से तथा संस्था की ओर से यह भी सहमति देता हूँ कि यदि विद्यालय को मान्यता दे दी जाती है तो मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर के वर्तमान व भविष्य में संशोधित होने वाले नियमों एवं अधिनियमों का पालन करता रहूँगा। बोर्ड यदि विद्यालय को परीक्षा केन्द्र बनाता है तो कभी भी परीक्षा केन्द्र बनाने में असहमति देने का मुझे कोई अधिकार नहीं होगा। जितनी छात्र संख्या विद्यालय में दर्शायी गई है उतना सिंगल सीटेड फर्नीचर केन्द्र आवंटित होने पर उपलब्ध कराऊँगा और यदि नहीं करा पाता हूँ तो उसकी व्यवस्था विद्यालय खर्च पर ही करने की सहमति देता हूँ। इसके साथ ही यह भी सहमति देता हूँ कि यदि बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले छात्रों का प्रवेश विद्यालय की त्रुटि से फर्जी पाता है तो मैं व संस्था इसके लिये जिम्मेदार होंगे और इस कारण से बोर्ड विद्यालय की मान्यता निरस्त कर सकेगा।

प्रधानाध्यापक / मंत्री / व्यवस्थापक
मय मोहर